न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः सी.आर.देवासी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 29 / 2024 अपील (GCMS 2024/36)
पंजीयन दिनांक– 24 / 07 / 2024
निर्णय दिनांक– 16 / 12 / 2024

1. श्री लहरसिंह पिता मांगीलाल सुराणा, निवासी देलवाडा, भुपालपुरा उदयपुर।
2. श्री महावीरसिंह पुत्र मांगीलाल सुराणा, निवासी देलवाडा, भुपालपुरा उदयपुर।

–अपीलांट्स

बनाम

1. जग्गा पुत्र केसाजी का स्वर्गवास होने से उनके वारिसान द्वारा काल्पनिक हस्तांतरण के जरिये प्रतिनिधि एच. जी. इकाया रिसोर्ट लिमिटेड, 14 पंचवटी कॉलोनी, रातानाडा, जोधपुर।
2. टीला पुत्र किसनाजी का स्वर्गवास होने से उनके वारिसान द्वारा हस्तांतरण के जरिये प्रतिनिधि एच. जी. लग्जरी हॉटल्स प्रा. लिमिटेड, 14 पंचवटी कॉलोनी, रातानाडा, जोधपुर।
3. जीवा पुत्र प्रथाजी का स्वर्गवास होने से उनके वारिसान द्वारा हस्तांतरण के जरिये प्रतिनिधि एच. जी. लग्जरी हॉटल्स प्रा. लिमिटेड, 14 पंचवटी कॉलोनी, रातानाडा, जोधपुर।
4. **भैरा पुत्र उदाजी को स्वर्गवास होने से वैध प्रतिनिधिगणः–**

4 / 1– उदा पुत्र भेराजी का स्वर्गवास होने से वैध प्रतिनिधिगणः–

4 / 1 / 1– चौखी बाई पुत्री उदाजी डांगी

4 / 1 / 2– टांकीबाई पुत्री उदाजी डांगी

4 / 1 / 3– धर्मा पुत्र उदाजी डांगी

4 / 1 / 4– रामलाल पुत्र उदाजी डांगी

4 / 1 / 5– सका पुत्र उदाजी डांगी

4 / 1 / 6– लालु पुत्र उदाजी का स्वर्गवास होने से वैध प्रतिनिधिगणः–

4 / 1 / 6 / 1– चुन्नीबाई पत्नि लालुरामजी डांगी

4 / 1 / 6 / 2– टीला पुत्र लालुराम डांगी

4 / 1 / 6 / 3– नरेश पुत्र लालुराम डांगी

4 / 1 / 6 / 4– भूरीलाल पुत्र लालुराम डांगी

रेस्पोडेंट टीला, नरेश ओर भूरीलाल नाबालिग होने से जरिये कुदरती संरक्षक माता चुन्नीबाई डांगी निवासी मटाटा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर।

4/2—गणेश पुत्र भेराजी द्वारा काल्पनिक हस्तांतरण के जरिये प्रतिनिधि एच. जी. एडी. पी. एल. वि. एल. पी. एल. (जे. वी.) निवासी संघवी केम्पस मानपुरा आबुरोड, जिला सिरोही जरियेः—

1. विजेन्द्रसिंह पुत्र होडलसिंह चौधरी जाति जाट, निवासी ढुंढई, आबुपर्बत, जिला सिरोही।
2. दिनेश पुत्र मनीलाल संघवी जाति जैन, निवासी ढुंढई, आबुपर्बत, जिला सिरोही।

4/3—पुरा पुत्र भेराजी का स्वर्गवास होने से उनके वारिसान द्वारा काल्पनिक हस्तांतरण के जरिये प्रतिनिधि एच. जी. एडी. पी. एल. वि. एल. पी. एल. (जे. वी.) निवासी संघवी केम्पस मानपुरा आबुरोड, जिला सिरोही जरियेः—

1. विजेन्द्रसिंह पुत्र होडलसिंह चौधरी जाति जाट, निवासी ढुंढई, आबुपर्बत, जिला सिरोही।
2. दिनेश पुत्र मनीलाल संघवी जाति जैन, निवासी ढुंढई, आबुपर्बत, जिला सिरोही।

4/4—हीरा पुत्र भेराजी का स्वर्गवास होने से उनके वारिसान द्वारा काल्पनिक हस्तांतरण के जरिये प्रतिनिधि एच. जी. एडी. पी. एल. वि. एल. पी. एल. (जे. वी.) निवासी संघवी केम्पस मानपुरा आबुरोड, जिला सिरोही जरियेः—

1. विजेन्द्रसिंह पुत्र होडलसिंह चौधरी जाति जाट, निवासी ढुंढई, आबुपर्बत, जिला सिरोही।
2. दिनेश पुत्र मनीलाल संघवी जाति जैन, निवासी ढुंढई, आबुपर्बत, जिला सिरोही।

5— रोडा पुत्र किकाजी द्वारा काल्पनिक हस्तांतरण के जरिये प्रतिनिधिः—

1. एच. जी. मोटीव एडयुकेयर प्रा. लि. 14 पंचवटी कॉलोनी, रातानाडा, जोधपुर।

6— सानी पुत्री वरदाजी के द्वारा काल्पनिक हस्तांतरण के जरिये प्रतिनिधिः—

1. एच. जी. मोटीव एडयुकेयर प्रा. लि. 14 पंचवटी कॉलोनी, रातानाडा, जोधपुर।
2. एच. जी. इकार्या रिसोर्ट प्रा. लि. 14 पंचवटी कॉलोनी, रातानाडा, जोधपुर।

7— रोडा पुत्री वरदाजी के द्वारा काल्पनिक हस्तांतरण के जरिये प्रतिनिधिः—

1. एच. जी. मोटीव एडयुकेयर प्रा. लि. 14 पंचवटी कॉलोनी, रातानाडा, जोधपुर।
2. एच. जी. इकार्या रिसोर्ट प्रा. लि. 14 पंचवटी कॉलोनी, रातानाडा, जोधपुर।

8— सवा पुत्र गोंगाजी के द्वारा काल्पनिक हस्तांतरण के जरिये प्रतिनिधिः—

1. एच. जी. एडी. पी. एल. वि. एल. पी. एल. (जे. वी.) निवासी संघवी केम्पस मानपुरा आबुरोड, जिला सिरोही जरिये विजेन्द्रसिंह पुत्र होडलसिंहजी चौधरी जाति जाट, निवासी ढुंढई आबुपर्बत, जिला सिरोही।
2. एच. जी. इकार्या रिसोर्ट प्रा. लि. 14 पंचवटी कॉलोनी, रातानाडा, जोधपुर।

9. मांगीलाल पुत्र अम्बालाल का स्वर्गवास होने से वैध प्रतिनिधिः–

9/1–महेन्द्र पुत्र मांगीलाल सुराणा, निवासी देलवाडा हाल भुपालपुरा, उदयपुर।

9/2–सुषमा पुत्री मांगीलाल सुराणा, निवासी देलवाडा हाल भुपालपुरा, उदयपुर।

10. ग्राम पंचायत कैलाशपुरा, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत।

11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बडगांव, जिला उदयपुर।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री दिनेश कुमार माली — अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री दुर्गासिंह शक्तावत — अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8
3. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक — अधिवक्ता रेस्पोडेंट 11

अपील अन्तर्गत धारा–76 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, बडगांव, जिला उदयपुर के प्रकरण संख्या 04/2023
अपील निर्णय दिनांक 20.05.2024

निर्णय

दिनांक 16/12/2024

- अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, बडगांव, जिला उदयपुर के प्रकरण संख्या 04/2023 अपील निर्णय दिनांक 20.05.2024 के विरूद्ध दिनांक 12.07.2024 को प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश मय शपथ इस न्यायालय में पेश की गई।

- इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बडगांव, जिला उदयपुर के यहां अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्रमा राया, पटवार हल्का कैलाशपुरी, तहसील गिर्वा हाल बडगांव, जिला उदयपुर की सीमा क्षेत्र भीतर स्थित गत खसरा संख्या 39, 57, 58मी., 59मी., 60 से 64, 80, 81 कुल खसरा 11 कुल क्षेत्रफल 131 बीघा 14 बिस्वा एवं खसरा संख्या 141 से 149, 151, 153, 160, 163 से 166, 168 से 170 कुल खसरा 19 कुल क्षेत्रफल 9 बीघा 16 बिस्वा की सहखातेदारी कृषि भूमि को अपीलांट्स के अध्ययन भरण पोषण इत्यादि के लिये जरिये दानपत्र दिनांक 15.12.1958 को दान में देना बताकर, मांगीलाल पुत्र अम्बालाल सुराणा को दिनांक 15.12.1958 के बाद उक्त कृषि भूमि बेचने को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होने के बाद भी मांगीलाल पुत्र अम्बालाल सुराणा ने खसरा संख्या 5, 6, 17 से 23 के साथ–साथ पूर्व में दान की गई खसरा संख्या 39, 57 से 64, 80, 81 को बेचान पश्चावर्ती दस्तावेज के जरिये बिना किसी क्षेत्रफल का उल्लेख किये अवैध शुन्य और निष्प्रभावी दस्तावेज दिनांक

27.09.1965 को रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 के पक्ष में निष्पादित करने का उल्लेख करते हुए उप पंजीयक कार्यालय, उदयपुर के कार्यालय में दिनांक 19.01.1966 को पंजीबद्ध कराये जाने से पटवारी कैलाशपुरी ने अपीलांट्स की जानकारी में दिये बिना ही बाले–बाले नामांतरकरण संख्या 25 खोलकर मांगीलाल पुत्र अम्बालाल सुराणा के स्थान पर रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 के नाम से नामांतरण दर्ज कर दिया, जबकि अपीलांट्स के खातेदारी हक अधिकार और कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 39, 57 से 64, 80, 81 की आराजी को बेचान करने का मांगीलाल पुत्र अम्बालाल सुराणा को कोई विधिक हक अधिकार प्राप्त नही होने से रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 के पक्ष में निष्पादित और पंजीबद्ध बेचान विलेख दस्तावेज दिनांक 27.09.1965 प्रारंभतः अवैध शुन्य और निष्प्रभावी होने से नामांतरण संख्या 25 और नामांतरण स्वीकृति आदेश प्रारंभतः कानूनन अवैध शुन्य और निष्प्रभावी है, गांव राया के गत नामांतरण संख्या 25 में वर्णित आराजी के दौराने हाल भू–प्रबंध खसरा संख्या 31 से 34, 80/33, 193, 378/193, 379/193, 195 से 197, 207, 208 एवं 253 बनाये गये है, जिसके अधिकार अभिलेखों में बिना किसी हक अधिकारिता के रस्पोडेंट संख्या 1 से 8 का नाम इन्द्राज होने से रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 एवं 8 ने अपीलांट्स के कब्जा काश्त और खातेदारी की कृषि भूमि में बिना किसी हक अधिकारिता के नाजायज हस्तक्षेप करते हुए अवैध कब्जा करने के प्रयास के बाद अपीलांट्स द्वारा राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त करने पर अपीलांट्स को प्रथम बार दिनांक 15.03.2023 को जानकारी में आया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 के नाम से कानूनन अवैध शुन्य और निष्प्रभावी दस्तावेज बेचाननामा के जरिये नामांतरण संख्या 25 खोला जाकर अपीलांट्स को सूचित किये बिना ही बाले–बाले रेस्पोडेंट संख्या 10 ने नामांतरण स्वीकृत करने का आदेश दिनांक 14.12.1970 की कार्यवाही से असंतुष्ट होकर अपील अंतर्गत धारा 75 पेश की, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 04/2023 अपील निर्णय दिनांक 20.05.2024 से अपीलांट्स की अस्वीकार की जाकर खारिज किये जाने से व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलांट्स द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 के तहत पेश की गई है।

- अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 20.05.2024 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया है:–*"हमने उभयपक्षों के तर्को दस्तावेजों पर मनन किया प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो एवं सम्मत विधि से मार्गदर्शन प्राप्त किया इस न्यायालय के मत में नामांतरण संख्या 01 सिलिंग कानून से बाधित होने के कारण खारिज किऐ जाने से कथित दानपत्र सिलिंग कानून से बाधित होने की जानकारी अपीलांट को होने से अपीलांट की अपील 53 वर्ष की देरी से प्रस्तुत किए जाने का कोई उचित स्पष्टीकरण अपीलांट के द्वारा नहीं दिये जाने से अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर पोषणीय नहीं है, किन्तु हस्तगत प्रकरण सिलिंग का सारभूत प्रश्न अर्न्तवलित होने से हम प्रकरण के गुणावगुण का विवेचन करना उचित समझते है कि मांगीलाल सुराणा के पास सिलिंग कानून की तय सीमा से अधिक कृषि भूमियां थी, जिस संबंध में उनके विरूद्ध एक सिलिंग प्रकरण क्रमांक 10/1970 चला जिसमें मांगीलाल सुराणा स्वयं के द्वारा वादग्रस्त भूमियां रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 को विक्रय करना स्वीकार कर तहसील गिर्वा में उनके पास 16.42 एकड भूमिया ही शेष होना निर्णय दिनांक 09.11.1971 में तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी,*

गिर्वा ने ताना गया है, ऐसी स्थिति में यदि मांगीलाल सुराणा के द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 को भूमियां विक्रय नहीं की जाती जो कि सिलिंग कानून के अपवाद के तहत वैध है तो निश्चित रूप से उक्त भूमियां तत्समय ही राजसात हो जाती क्योंकि तत्समय प्रचलित सिलिंग कानून के अनुरूप ऐसा नाबालिग जो कि परिवाद की परिभाषा में आता है, के पक्ष में किया गया अंतरण अवैध एवं विधिशुन्य है, ऐसी स्थिति में अपीलांट के पक्ष में निष्पादित दानपत्र कानून के विरूद्ध होने से ऐसे दानपत्र के आधार पर अपीलांट को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है, अपीलांट के द्वारा नामांतरण संख्या 01 एवं निर्णय दिनांक 09. 11.1971 के विरूद्ध कोई चाराजोही नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहिन होकर विधि एवं मयाद से बाधित होने के कारण अस्वीकार कर खारिज की जाती है। "

- यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश माली उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 की ओर से अधिवक्ता श्री दुर्गासिंह शक्तावत उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 9 व 10 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 11 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 09.12.2024 को सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा आज दिनांक 16.12.2024 को लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

- अधिवक्ता अपीलांट्स ने मौखिक एवं लिखित बहस में प्रस्तुत किया कि ग्राम पंचायत कैलाशपुरी द्वारा कानून के विपरित जाकर बिना जांच के, बिना क्षेत्राधिकार के नामांतरण संख्या 25 स्वीकृत किया गया है। उक्त नामांतरकरण स्वीकृति का आदेश दिये जाने से पूर्व किसी प्रकार की जांच नहीं की गई और ना ही अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर ही दिया गया। अपीलांट्स को नोटिस दिये बिना ही बाले–बाले अपीलाधीन नामांतरकरण स्वीकृत करने का आदेश दिये जाने से भी अपीलाधीन नामांतरकरण आदेश अपास्त योग्य है।दिनांक 14.12.1970 को ग्राम पंचायत कोरम की बैठक नहीं हुई थी। ग्राम पंचायत कोरम के निर्णय प्रस्ताव के अभाव में सरपंच द्वारा द्वारा नामांतरण पर स्वीकृत का अंकन करना क्षेत्राधिकार के बाहर होने अपीलाधीन आदेश से पूर्व अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर नहीं दिया और अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश से पूर्व नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया जाना कानूनन आवश्यक था, अधीनस्थ न्यायालय ग्रमा पंचायत ने अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरित आदेश पारित कर विधिक रूप से निष्पादित वैध और प्रभावी रजिस्टर्ड दान विलेख दिनांक 15.12.1958 के जरिये दानदाता मांगीलाल पुत्र अम्बालाल सुराणा का नाम विलोपित कर अपीलांट्स के नाम नामांतरण खोला जाना कानूनन आवश्यक था, अपीलांट्स के नाम दान विलेख के जरिये नामांतरण नहीं खोलकर और अपीलांट्स के कब्जा काश्त और खातेदारी हक अधिकारों को अनदेखा कर अपीलाधीन नामांतरण को स्वीकृत करने का आदेश देकर गंभीर विधिक भूल होना बताया है। पंजीकृत दानपत्र आज भी अस्तित्व में है, फिर भी पश्चातवर्ती विक्रय अपने आप में शुन्य होकर निष्प्रभावी है। ग्राम पंचायत को विवादित नामांतरण

जिसे दानपत्र के आधार पर खोला गया था उसे निरस्त करने का अधिकार नही था, न ही विवादित दस्तावेज पर खोले गये नामांतरण पर सुनवाई का अधिकार था। अपीलीय नामांतरण ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार से बाहर था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मयाद पर अपील खारिज की गई, जबकि किसी भी त्रुटिपूर्ण आदेश पर मयाद का बिन्दु लागु नही होता है। अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा अपने कथनो के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः 2007 0 AIR (Raj) 73, 2007 RLW (RJ) 348, 20035 0 Supreme (SC) 767, 1997 AIR (SCW) 1659, (1997) 1 Supreme 514, 2020 Supreme (SC) 702, 2021 AIR (SC) 394, 2007 (2) RRT 1183 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाने बाबत निवेदन किया गया।

- अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 ने मौखिक एवं लिखित बहस में प्रस्तुत किया कि हस्तगत प्रकरण में अपीलांट्स के द्वारा रेस्पोडेंट्स के प्रतिनिधी के आधार पर पक्षकार बनाकर हस्तगत प्रकरण में प्रतिनिधी बताये गये व्यक्तियों पर तामील करायी गयी है जबकि ये प्रतिनिधी किस विधिक प्रावधान के तहत् अपीलांट्स द्वारा बनाये गये है यह अपीलांट्स ने अपनी अपील में कहीं भी वर्णित नहीं किया है, अपीलाण्ट को हस्तगत अपील प्रस्तुत करने की कोई ''लोकस स्टेण्डाई'' ही नहीं है, अपीलांट के पक्ष मे निष्पादित दान–पत्र के आधार पर वर्ष 1959 में नामान्तरण संख्या 1 खोला गया, किन्तु उक्त नामान्तरण संख्या 1 सीलिंग एक्ट के प्रावधान लागु होने के चलते दान पत्र सीलींग एक्ट के प्रावधानों के विपरित एवं विधि विरूद्ध होने से नामान्तरण संख्या 1 को तत्समय ही खारीज कर दिया गया जिसकी कोई अपील अपीलांट्स के द्वारा आज दिन तक नहीं की गई है, इसके अतिरिक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अध्याय 3 ख अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक भूमि धारण करने पर निर्वधन के प्रावधान हस्तगत प्रकरण में लागु होते है, जिससे हस्तगत प्रकरण में भी अपीलांट्स, दान–पत्र के निष्पादन के समय नाबालिग थे, ऐसे में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 30 ख के प्रावधानों के अनुसार अपीलांट्स दोनों कुटुम्ब की परिभाषा में आते है, जिससे उनके पक्ष में अन्तरित भूमियों में वर्णित रकबे भी उनके संरक्षक पिता श्री मांगीलाल सुराणा जी के सीलींग प्रावधानों के अनुसार अधिकतम सीमा क्षेत्र निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ आंकलित की जायेगी, ऐसें में वर्ष 1958 में अपीलांट्स के पक्ष उनके पिता श्री मांगीलाल जी सुराणा द्वारा जरिये दानपत्र अन्तरित की गई भूमियां सीलिंग कानून के प्रावधानों के अनुसार नाबालिग को अन्तरीत भूमियां एक ही कुटुम्ब में होने के चलते ऐसा अन्तरण प्रारम्भ से ही विधि शुन्य है तथा रेस्पोडेंट्स को किया गया अन्तरण धारा 30–घघ के अपवाद में आकर पूर्णतया वैध है, जिसका अंकन नामान्तरण संख्या 25 की तहसील परत पर है तथा सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, उदयपुर की बंटवाड़ा पत्रावली में भी नामान्तरण संख्या 25 को विधि मान्यता दी गई है, मांगीलाल सुराणा के पास सीलींग कानून की तय सीमा से अधिक कृषि भूमियां थी, जिस संबंध उनके विरूद्ध कानून एक सीलींग प्रकरण क्रमांक 10/1970 चला जिसमें मांगीलाल सुराणा स्वयं के द्वारा वादग्रस्त भूमियां रेस्पोडेंट्स संख्या 01 से 08 को भूमियां विक्रय करना स्वीकार कर तहसील गिर्वा में उनके पास 16.42 एकड़ भूमियॉ ही शेष होना निर्णय दिनांक 09/11/1971 में तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी गिर्वा,

उदयपुर ने माना, ऐसी स्थिति में यदि मांगीलाल जी सुराणा द्वारा उक्त भूमियॉ रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 से 08 को यदि विक्रय नहीं की जाती तो उक्त भूमियां निश्चित रूप से राजसात हो जाती क्योंकि तत्समय प्रचलित सीलींग कानून के अनुरूप ऐसा नाबालिग जो कि परिवार (Family) की परिभाषा में आता है, के पक्ष में किया गया अन्तरण अवैध एवं विधि शुन्य है, ऐसी स्थिति में अपीलांट्स के पक्ष में निष्पादित दान पत्र विधि विरूद्ध होकर उक्त दानपत्र के आधार पर अपीलांट्स को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है, अपीलांट्स द्वारा उक्त नामान्तरण संख्या 1 एवं निर्णय दिनांक 09/11/1971 के विरूद्ध आज दिन तक कोई चाराजोही नहीं की गई। जैसा कि पूर्व में वर्णित किया जा चुका है कि कथित दान पत्र अवैध, विधि विरूद्ध एवं विधि शुन्य होकर प्रारम्भ से ही रद्द, शुन्य व बेअसर है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है एवं इस संबंध में राजस्व ऐजेन्सी अपना मत प्रकट कर चुंकी है, जिसके विरूद्ध अपीलांट ने आज दिनांक तक कोई चाराजोही नहीं की है, जहॉ तक नामान्तरण संख्या 25 का प्रश्न है, उक्त नामान्तरण ग्राम पंचायत के कौरम में मजमाआम में निर्णित हुआ है तथा नामान्तरण पर मांगीलाल सुराणा स्वयं के हस्ताक्षर है जो कि अपीलांट के पिता थे, ऐसी सूरत में यह कदापि नहीं माना जा सकता की अपीलांट को उक्त नामान्तरण की जानकारी नहीं हो, जहॉ तक पंजीकृत विक्रय पत्र के खसरों का मिलान जमाबन्दी से नहीं होने का प्रश्न है, प्रथमतः तो अपीलांट का यह आधार कभी नहीं रहा है, न ही ऐसा आधार कानूनन ही लिया जा सकता है, क्योंकि पंजीकृत विक्रय पत्र में वर्णित पड़ोसों से रकबे एवं आराजीयात की ताईद होती है, इतना ही नहीं स्वयं मांगीलाल सुराणा के द्वारा सीलींग की कार्यवाही एवं नामान्तरण में अपने हस्ताक्षर कर विक्रित रकबों एवं आराजीयात् की पुष्टि की जा चुकि है, जिसे मांगीलाल सुराणा से बेहतर कोई व्यक्ति चुनौति नहीं दे सकता एवं जब मांगीलाल सुराणा द्वारा इस संबंध में राजस्व रिकार्ड में बारम्बार स्वीकृति की गई है, तो अपीलांट को ऐसा उजर लेने का कोई विधिक अधिकार ही नहीं है। जहॉ तक अपीलाण्ट द्वारा गत भूमाप के आराजी संख्या 141 से 149, 151, 153, 160, 163 से 166, 168 से 170 कुल किता 11 कुल क्षेत्रफल 9 बिघा 16 बिस्वा जो कि वस्तुतः 9 बिघा 19 बिस्वा है, का हवाला अपील के कलम संख्या 16 में दिया गया है, इन आराजीयात् के संबंध में मांगीलाल सुराणा द्वारा किये गये विक्रय एवं उससे संबंधित नामान्तरण संख्या 19 व 20 को अपीलाण्ट के द्वारा आज दिन तक कोई चुनौति नहीं दी गई है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलाण्ट ने पीसमील में पिक एण्ड चूस करते हुए अपने अन्य हेतुकों की पूर्ति करने के दुरमंतव्य एवं दुर्भावना के चलते हस्तगत अपील एवं विद्वान अधिनस्थ न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की है जिससे अपीलाण्ट स्वयं अपने एक्ट, ओमिशन व कन्डक्ट से बाधित है। अपीलांट के द्वारा स्वअंतरविरोधी कथन करते हुए कानून का गलत निर्वचन किया गया है, जबकि विधिक प्रावधान यह है कि वर्ष 1969 तक कोई सीलींग विधि से प्रभावित भूमि का विक्रय किसी वयस्क व्यक्ति को करता है तो ऐसा अन्तरण प्रभावी एवं वैध माना जायेगा जो कि स्वयं प्रावधान अपने आप में स्पष्ट है कि अन्तरण के दिन व्यक्ति बालिग होना चाहिए न की वर्ष 1969 तक वह व्यक्ति बालिग हो, अपीलांट के द्वारा भ्रम पेदा करने के लिए चातुरर्यतापूर्वक क्लेवर ड्राफ्टींग करते हुए इस प्रकार के कथन किये गये है जो

कि सामान्य निर्वचन के सिद्धान्त के विपरित है। उक्त कथित दान पत्र सीलींग विधि के विपरित होने से प्रारम्भ से रद्द, शुन्य व बेअसर है, व इस संबंध में नामान्तरण संख्या 01 निर्णित हो चुका है, रेस्पोडेंट संख्या 01 से 08 के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र पूर्णरूप से वैध एवं प्रभावी होकर विक्रेता मांगीलाल सुराणा द्वारा बारम्बार रेस्पोडेंट संख्या 01 से 08 के विक्रय एवं कब्जे की पुष्टि की गई है, ऐसी स्थिति में न तो अपीलांट का कोई प्रथम दृष्टया मामला है, न अपीलांट कभी खातेदार ही रहे है, न ही उन्होने कभी काश्त ही की है, न ही उन्होने कोई लगान ही भरा है, न ही कभी उनका कोई एक ईंच भूमि पर ही कोई कब्जा ही रहा है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 द्वारा अपनी बहस के समर्थन विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः 2018 0 Supreme (Raj) 731, 2010 0 Supreme (SC) 272, 1995 0 Supreme (SC) 1260, 2009 0 Supreme (SC) 469, 1983 RLW Raj 475, 2000 0 RRD 173, 2000 0 RRD 303, 1999 0 RRD 575, 1996 0 Supreme (SC) 365, 1998 0 Supreme (Pat) 142, Supreme (Raj) 1568, 2005 2 RLW(RJ) 325, 2011 2 RLW(RJ) 864, 2012 1 RLW(RJ) 318, 2012 1 RLW(RJ) 443, 2013 0 Supreme(SC) 634, 2020 0 Supreme(SC) 702, 2021 0 Supreme(SC) 429, 1995 0 Supreme(SC) 947, 1981 0 Supreme(SC) 519, 2022 0 Supreme(SC) 328, 1977 0 Supreme(AP) 123 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट्स अस्वीकार की जाने बाबत निवेदन किया गया।

- अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट 11 राजकीय अभिभाषक श्री मुरलीधर पालीवान ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बडगांव, जिला उदयपुर द्वारा दिनांक 20.05.2024 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील गुणावगुण पर निर्णय किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

- **प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया।**

- पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बडगांव, जिला उदयपुर में अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 04/2023 अपील निर्णय दिनांक 20.05.2024 से अपीलांट्स की अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाने से व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

- प्रकरण में प्रस्तुत लिखित बहस एवं अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि पक्षकारान द्वारा मुख्यतः न्यायालय हाजा समक्ष वही उजरात प्रस्तुत किये है, जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक परीक्षण उपरांत अपना मत व्यक्त किया जा चुका है। न्यायालय हाजा द्वारा अपीलीय न्यायालय की हैसियत से पुनः समस्त उजरात का विधिक दृष्टि से परीक्षण एवं अध्ययन किया गया। अपीलार्थीगण का प्रमुख आधार कथित दान विलेख रहा है, जिसे उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा अपने अपने मत उक्तानुसार प्रस्तुत किये गये। अपीलार्थी द्वारा कथित दान विलेख का हवाला देते हुए स्वयं

को विवादित आराजीयात का खातेदार होना बताया है। इसके विपरित प्रत्यर्थी–1 से 8 द्वारा उक्त भूमियों को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 27.09.1965 से क्रय किया जाकर कब्जा होकर राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद होना बताया गया है।

- प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी के पक्ष में वर्ष 1959 में दानपत्र के आधार पर नाामन्तरकरण संख्या 1 स्वीकृत किया गया था उक्त नामान्तरकरण को सिलिंग एक्ट के प्रावधानों के विपरित होने से दिनांक 14.07.1963 को खारिज कर दिया गया जो कि नामान्तरकरण संख्या 1 पर अंकित इबारत ''सीलिंग एक्ट के अनुसार काबिज मंजूरी के नहीं है। असल काश्त मांगीलाल के खाते नहीं करवाने की मंजूरी होकर खारिज हो''

- इस संबंध में यहा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अध्याय 3ख जो कि अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक भूमि धारण करने पर निर्वधन के प्रावधान से संबंध है, का विवेचन किया जाना उचित समझते है, जिसके अनुसार––

''कुटुम्ब से पति और पत्नी तथा उन पर आश्रित उनकी सन्तानों, पौत्र–पौत्रियों तथा आश्रित विधवा माता से गठित कुटुम्ब अभिप्रेत है'', तथा धारा 30 घघ के अनुसार ''धारा 30 घ में किसी प्रतिफल बात के होते हुए भी, किसी व्यक्ति के बारे में धारा 30 ग के अधीन अधिकतम सीमा क्षेत्र अवधारित करने के प्रयोजनार्थ (i) 31 दिसम्बर, 1969 तक किसी व्यक्ति द्वारा राजस्थान में अधिवासित कृषक के पक्ष में या कृषि व्यवसाय अपनाने का आशय रखने वाले कृषक के पक्ष में या कृषि व्यवसाय अपनाने का आशय रखने वाले और वैयत्तिक रूप से खेती करने में असमर्थ औश्र उक्त तारिख को या उसके पूर्व वयस्क हो जाने वाले उसके पुत्र अथवा भ्राता के पक्ष में किये गये 30 मानक एकड़ से अनधिक भूमि के प्रत्येक अन्तरण (ii) राजस्थान अभिधृति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1970 के प्रारंभ से पूर्व याथाविद्यमान धारा 30–ञ की उपधारा (1) के खण्ड (क), (ख), (घ) और (ङ) में निर्दिष्ट स्वरूप के बागों या फार्मों की भूमि, जो 1 मई, 1959 से पूर्व अर्जित की गयी हो, के किसी व्यक्ति द्वारा उसके ऐसे पुत्र अथवा भ्राता के पक्ष में, जो खण्ड (i) में उल्लिखित शर्तों को पूरा करता हो और उपर्युक्त सीमा तक 1 जून, 1970 से पूर्व किये गये प्रत्येक अन्तरण– को भी मान्यता दी जायेगी''

प्रावधानों के अध्ययन से उक्त प्रावधान हस्तगत प्रकरण में लागु होते है, जबकि उक्त अध्याय 3 ख के प्रावधान अधिसूचना दिनांक 29/03/1973 द्वारा निरसित किये जा चुके है, किन्तु उक्त अध्याय पुराने सीलिंग मामलों पर लागू होते है। उक्त प्रकरणों में दस्तावेजों एवं पूर्व में पारित निर्णयों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि दानपत्र के निष्पादन के समय हस्तगत प्रकरण कें अपीलार्थीगण अवयस्क होकर नाबालिग थे, इस कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 30 ख के प्रावधानों इस प्रकरण पर लागू होकर अपीलार्थीगण कुटुम्ब की परिभाषा में आते है, जिससे उनके पक्ष में अन्तरित भूमियों में वर्णित रकबे भी उनके संरक्षक पिता मांगीलाल सुराणा के सीलिंग प्रावधानों के अनुसार अधिकतम सीमा क्षेत्र निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ आंकलित की जाना अपेक्षित है। वर्ष

1958 में अपीलांट्स के पक्ष उनके पिता मांगीलाल सुराणा द्वारा जरिये दानपत्र अन्तरित की गई भूमियॉ सीलिंग कानून के प्रावधानों के अनुसार नाबालिग को अन्तरीत भूमियां एक ही कुटुम्ब में होने के चलते ऐसा अन्तरण प्रारम्भ से ही विधि विरूद्ध होना प्रकट होता है। इसी प्रकार प्रत्यर्थीगण को किया गया अन्तरण धारा 30–घघ के अपवाद में आकर पूर्णतया वैध होना प्रकट होता है। इसके ताईद नामान्तरण संख्या 25 की तहसील परत पर किये गये अंकन से होता है, जिस पर अंकित किया गया है कि ''यह खाता सीलिंग के आता है, मगर दिनांक 31.12.69 के बेचान सरकार ने वैध मान लिये है व तहसील का आदेश भी मौजुद है व कब्जा खरिदारान का हो चुका है, जईद पेश हो'' उक्त अंकन अनुसार राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद किया गया। यह कथन प्रस्तुत किये गये है कि सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, उदयपुर की बंटवाड़ा पत्रावली में भी नामान्तरण संख्या 25 को विधि मान्यता दी गई है, मांगीलाल सुराणा के पास सीलिंग कानून की तय सीमा से अधिक कृषि भूमियां थी, जिस संबंध में उनके विरूद्ध एक सीलिंग प्रकरण क्रमांक 10/1970 चला जिसमें मांगीलाल सुराणा स्वयं के द्वारा वादग्रस्त भूमियां रेस्पोडेट्स संख्या 01 से 08 को भूमियां विक्रय करना स्वीकार कर तहसील गिर्वा में उनके पास 16.42 एकड़ भूमियां ही शेष होना निर्णय दिनांक 09/11/1971 में तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर ने माना है। उक्त स्थिति से प्रस्तुत कथनों की ताईद होती है कि यदि मांगीलाल सुराणा द्वारा उक्त भूमियां रेस्पोडेंट्स संख्या 01 से 08 को यदि विक्रय नहीं की जाती तो उक्त भूमियां निश्चित रूप से राजसात हो जाती क्योंकि तत्समय प्रचलित सीलिंग कानून के अनुरूप ऐसा नाबालिग जो कि परिवार (Family) की की परिभाषा में आता है, के पक्ष में किया गया अन्तरण अवैध एवं विधि विरूद्ध होना जाहिर है और उक्त स्थिति अपीलार्थीगण के पक्ष में निष्पादित दानपत्र का अवैधानिक होना जाहिर करते हुए उनके हक व अधिकार पर एक प्रश्नचिन्ह व्यक्त करती है यद्यपि सक्षम न्यायालय द्वारा उक्त दानपत्र के आधार पर पारित नामान्तरकरण संख्या 1 को खारिज कर दिया गया है एवं तत्पश्चात् पारित निर्णय दिनांक 09.11.1971 हुआ जो प्रत्यर्थीगण के पक्ष में पारित किया गया है। उक्त दोनों कार्यवाहियों को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई और या किसी न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया हो, ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसे में अपीलार्थीगण का पंजीकृत विकय विलेख के आधार पर प्रत्यर्थीगण के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण को वस्तुस्थिति के विपरित अभिवचन किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है।

अधिवक्ता अपीलांट का यह तर्क रहा है कि धारा 30 (घघ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् दिनांक 31/12/1969 तक राजस्थान के अधिवासित कृषक तथा कृषि कार्य करने हेतु योग्य व्यक्तियों तथा वयस्क पुत्रों एवं वयस्क भ्राता के पक्ष में किये गये अन्तरणों को पुरानी सीलींग विधि के द्वारा विधि मान्यता प्रदान

की गई है तथा अपीलांट के पक्ष में दान पत्र दिनांक 15/12/1958 को निष्पादित अवश्य किया गया था, तब अपीलांट लहर सिंह की उम्र 9 वर्ष एवं अपीलांट महावीर की उम्र 2 वर्ष थी, जो कि उस समय तो नाबालिग थे किन्तु उनमें से एक लहर सिंह दिनांक 31/12/1969 तक बालिग हो गया था, इस कारण उनका अन्तरण वैध है, इस संबंध में हम जब पुरानी सीलींग विधि के प्रावधानों का विवेचन करते है तो पाते है कि धारा 30 (घघ) को धारा 30घ के अनुक्रम में विहित किया गया है जिससे धारा 30 (घ) के प्रावधानों के अनुरूप दिनांक 25.02.1950 के पश्चात् किसी भी अवयस्क पुत्र अथवा अवयस्क भ्राता के पक्ष में किये गये अन्तरण सीलींग विधि के तहत् अमान्य है, ऐसी स्थिति में धारा 30 (घघ) केवलमात्र अपवादिक स्थिति में ऐसे वयस्क भ्राता एवं भाई के पक्ष में किये गये अन्तरण को ही मान्यता देती है, जो कृषि कार्य करने हेतु सक्षम हो, इसके अतिरिक्त इस संबंध में हम न्यायिक दृष्टांत 2002 आर.आर.डी. 514 भंवरी देवी व अन्य बनाम राजस्थान राज्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पेरा संख्या 17 में किये गये कथन "Maturity for the purpose of Section 30DD of the Tenancy Act must be evaluated in the context of the date of the transfer, not the age of the transferee. The transfer of 87 bighas 8 biswas of land by Ridhkaran to his son Jagdish on June 15, 1965, was scrutinized in the case. It was argued that Jagdish, as a landless person, should have been capable of cultivating land personally for the transfer to be recognized under Section 30DD, which is intended to promote agricultural activities. However, there was no evidence to show that Jagdish was capable of cultivating the land personally or was a landless person at the time of the transfer. Therefore, this transfer could not be recognized under Section 30DD, and the land was rightfully included in the ceiling area calculation." से निर्देशित होते है कि धारा 30 (घघ) के अपवादिक स्थिति में होने के लिए अन्तरण के दिन वयस्कता आवश्यक है न कि दिनांक 31/12/1969 को वयस्क होने से तात्पर्य है, हस्तगत प्रकरण में स्वीकृत तौर पर दान पत्र के निष्पादन के दिन अपीलांट अवयस्क थे, जिससे अधिवक्ता अपीलांट के इस तर्क में कोई बल नहीं रह जाता है, अपीलांट के पक्ष में किया गया अन्तरण धारा 30 (घ) से विधितः बाधित था।

दौराने बहस अपीलांट के द्वारा यह तर्क दिया गया कि उक्त दान पत्र वर्ष 1958 में निष्पादित किय गया था तथा उक्त दान पत्र के निष्पादन के पश्चात् बिना अपीलांट की जानकारी के उनके हक व अधिकारों के विरूद्ध पश्चात्वर्ती क्रम में दिनांक 27/09/1965 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 के पक्ष में उनके पिता श्री मांगीलाल जी सुराणा के द्वारा एक पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित किया गया जो कि उनके पक्ष में पूर्ववर्ती दस्तावेज होने से पश्चात्वर्ती अन्तरण के आधार पर नामान्तरण नहीं किया जा सकता, इस संबंध में जब उपलब्ध रेवेन्यु रिकार्ड व वादग्रस्त भूमियों की जमाबंदियों का विवेचन किया गया तो प्रकरण में यह वस्तुस्थिति है कि अपीलांट के द्वारा उक्त भूमियों पर विगत 54 वर्षों में एक बार भी लगान अदा नहीं किया गया, न ही अपीलांट का वादग्रस्त भूमियों पर विगत 54 वर्षों से कोई कब्जा ही रहा है, इसके अतिरिक्त उक्त भूमियां रेस्पोडेंट संख्या 01 से 08 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27/09/1965 के अपीलांट के

ही पिता मांगीलाल सुराणा के द्वारा विक्रित कर उनको कब्जा सिपूर्द किया गया, तब से वादग्रस्त भूमियों पर रेस्पोडेंट संख्या 01 से 08 एवं उसके अन्तरितियों का कब्जा चला आ रहा है, जो कि संबंधित राजस्व रिकार्ड, नामान्तरण संख्या 25 एवं जमाबन्दियों से साबित होता है, इसके अतिरिक्त यह भी वस्तुस्थिति है कि अपीलांट के पक्ष मे निष्पादित दान–पत्र के आधार पर वर्ष 1959 में नामान्तरण संख्या 1 खोला गया, जो कि सीलींग एक्ट के प्रावधानों के विपरित होने के चलते वर्ष 1963 में खारीज कर दिया गया, जिसकी कोई अपील अथवा चाराजोही अपीलांट द्वारा नहीं की गई है, इसके अतिरिक्त हस्तगत मामला पुराने सीलींग मामलों से संबंधित होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अध्याय 3 (ख) के प्रावधानों के अनुसार कुटुम्ब की परिभाषा के अनुसार कुटुम्ब से पति और पत्नी तथा उन पर आश्रित उनकी सन्तानों, पौत्र–पौत्रियों तथा आश्रित विधवा माता से गठित कुटुम्ब अभिप्रेत है एवं धारा 30 (घ) के अनुसार 31/12/1969 तक राजस्थान में अधिवासित कृषक या कृषि व्यवसाय अपनाने का आशय रखने वाले कृषक के पक्ष में या कृषि व्यवसाय अपनाने का आशय रखने वाले वयस्क हो जाने वाले उसके पुत्र अथवा भ्राता के पक्ष में किये गये 30 मानक एकड़ से अनधिक भूमि के प्रत्येक अन्तरण को विधितः मान्यता दी गई है, हस्तगत प्रकरण में यह स्थिति स्पष्ट है कि उक्त दान–पत्र के निष्पादन के समय अपीलांट नाबालिग थे, ऐसे में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 30 (ख) के प्रावधानों के अनुसार अपीलांट मांगीलाल सुराणा के कुटुम्ब की परिभाषा में आते है, जिससे उनके पक्ष में अन्तरित भूमियों में वर्णित रकबे भी उनके संरक्षक पिता श्री मांगीलाल सुराणा जी के सीलींग प्रावधानों के अनुसार अधिकतम सीमा क्षेत्र निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ आंकलित की जायेगी, जिससे वर्ष 1958 में अपीलांट के पक्ष उनके पिता श्री मांगीलाल जी सुराणा द्वारा जरिये दान–पत्र अन्तरित की गई भूमियॉ सीलींग कानून के प्रावधानों के अनुसार नाबालिग को अन्तरीत भूमियॉ एक ही कुटुम्ब में होने के चलते ऐसा अन्तरण प्रारम्भ से ही विधि शुन्य है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत 1983 आर.एल.डबल्यू.(राज) 475 गोपाल सिंह बनाम राजस्थान राज्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पेरा संख्या 5 में कुटुम्ब की परिभाषा को बताया गया है, जो निम्नानुसार है "the argument that the land standing in the name of Gopal Singh's wife should not be clubbed with his land was rejected. Under Section 30-B of the Rajasthan Tenancy Act, a "family" includes the husband, wife, dependent children, and grandchildren. Therefore, any land held individually by a family member is deemed to be held by the family as per Rule 17(1) of the Ceiling Rules, 1963. Consequently, the land in the name of Gopal Singh's wife was rightly clubbed with his for calculating the ceiling area." जिससे अपीलांट के द्वारा जिस दानपत्र के आधार पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है वह सीलींग कानूनों के विपरित होने से कानूनन वैध नहीं है, जिससे दस्तावेज का पूर्ववर्ती होना किसी प्रकार से अपीलांट की सहायता नहीं करता है, इसके विपरित रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 को किया गया अन्तरण धारा 30 (घघ) के अपवाद में आकर पूर्णतया वैध है, जिसका अंकन नामान्तरण संख्या 25 की तहसील परत पर है तथा सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, उदयपुर की बंटवाड़ा

पत्रावली में भी नामान्तरण संख्या 25 को विधि मान्यता दी गई है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2021 (3) एस.सी.सी. 459 दौलत सिंह (मृत) जरिये वारिसान बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के मामले के पेरा संख्या 43 व 46 में प्रतिपादित किया है,

"43. it is evident that the legislature has created two separate categories of land: one that is includable under ceiling laws and another that falls outside their purview. Once this classification is made, with no challenge to its validity, it is the duty of every authority to give full effect to this classification in both letter and spirit. While a voluntary transfer could potentially meet the criteria of both Sections 30D and 30DD, it is significant to note that Section 30DD begins with a non-obstante clause, giving it overriding effect on Section 30D. As a result, any land falling within the scope of Section 30DD would be protected from the provisions of Section 30D of the Tenancy Act of 1955. Therefore, if the appellant succeeds in proving that the transfer falls under Section 30DD, that land must be exempt from being included in the computation of confiscable land, regardless of whether it falls within the ceiling limits as per Section 30D of the Tenancy Act."

46. It is also important to note that the transfer took place well before the cutoff date stipulated under Section 30DD, which is 31.12.1969. As such, the registered gift deed dated 19.12.1963 constitutes a bona fide transfer fully covered under Section 30DD, which was intended to protect the rights of agriculturalists. Therefore, Issue no. 3 is answered in favor of the appellant, as the transfer is valid and protected under Section 30DD of the Tenancy Act of 1955."

इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र धारा 30 (घघ) के अपवादों में आकर पूर्णतया वैध एवं प्रभावी है तथा ऐसे वैध पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर किये गये नामान्तरण में यह न्यायालय कोई त्रुटि नहीं पाती है।

अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत उपरोक्त बिन्दु पर लागु होते है–

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राम प्रताप बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के मामले के पेरा संख्या 1, 9, 14, 15 व 16 में निम्नलिखित निर्णय प्रतिपादित किया गया है–

"1. The petitioner's family held 192.50 standard acres of land, out of which 138.50 standard acres were declared surplus under the New Ceiling Act, 1973. Transfers made by the petitioner's wife and minor sons were deemed invalid for ceiling purposes.

9. The petitioner argued that his sons were not dependents and thus could not be considered part of the family as per Section 30-B of the Rajasthan Tenancy Act. He also contended that land given to the wife for maintenance should not have been clubbed with his holding.

14. The ceiling area for a family of up to five members was set at 30 standard acres, with an additional 5 standard acres per member for families exceeding five, up to a maximum of 60 standard acres. Dependents, including the wife, children, and widowed mother, are included in the family definition under Section 30-B. The ancestral or non-ancestral nature of the land is irrelevant for ceiling purposes, and non-dependent individuals cannot claim separate shares under the Ceiling Law.

15. Transfers made after the notified date were invalid. Land held by minor sons, the wife, and the petitioner (khatedar) was clubbed together to determine the ceiling

area. The inclusion of minor sons in the family definition under Section 30-B was upheld, and surplus land was correctly declared.

16. The landholders did not challenge the primary order declaring surplus land. Transfers were rightly ignored, and the unencumbered surplus land had to be surrendered as per the law. The writ petition was dismissed.”

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राम नारायण व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के मामले के पेरा संख्या 1, 3, 4 व 5 में निम्नलिखित निर्णय प्रतिपादित किया गया है–

“1. Ram Narain held 161 acres of land, including land in his wife’s name. A gift to his daughter in 1972 was deemed invalid. His major son, Bhojraj, was treated as a separate unit, and 53 acres were declared surplus, leaving 108 acres for Ram Narain and his son.

3. Section 4(2) of the Rajasthan Imposition of Ceiling and Agricultural Holdings Act, 1973 provides one unit for every adult son and his family, subject to the act's ceiling limits. The family, as defined under Section 2(f), includes the husband, wife, and minor children, excluding married daughters.

4.If a family exceeds five members, the ceiling area increases by one-fifth per additional member, with a maximum of twice the ceiling area for a family of five or fewer. An adult son is entitled to a separate unit under Section 2(m), but the khatedar's benefit cannot extend to the adult son.

5.Transfers made after the prescribed date, including gifts to the daughter, are invalid and unrecognizable under the Act. The Board of Revenue's recognition of such a transfer was extraneous and legally unsustainable.”

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिलावर सिंह बनाम एडिशनल डिस्ट्रीक्ट जज गाजीयाबाद के मामले के पेरा संख्या 1, 3, व 4 में निम्नलिखित निर्णय प्रतिपादित किया गया है–

“1. The appellant, Dilawar Singh, submitted his return under the U.P. Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960, claiming he had gifted certain parcels of land in 1965. However, all the authorities concluded that the gift was a sham transaction, intended to avoid ceiling restrictions. The High Court, in its order, dismissed the petition, agreeing with the lower courts' findings.

3. The key question in the case was whether the appellant could exclude the gifted land from his holdings. Section 5 of the Act states that no tenure-holder can hold land in excess of the ceiling area. Transfers made after August 20, 1959, which would have otherwise been declared surplus, are to be ignored for ceiling purposes. The Court found that the gift deed was a sham and did not affect the surplus land calculation. As a result, the appellant's claim to exclude the land based on the gift deed was rejected.

4. The Court concluded that the gift deed was a sham document and, therefore, did not have any legal effect. As a result, any transfer or partition after January 24, 1971, which would typically be exempt under the law, was irrelevant in this case. The appeal was dismissed, and the surplus land was computed as if the gift had never occurred. No costs were awarded in this case.”

- हम यहां प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत इस कथन का समर्थन करते है कि अपीलार्थी एक तरफ को विक्रय पत्र द्वारा किये गये अंतरण को अस्वीकार करता है और

दुसरी अंतरण को स्वीकार कर पारित नामान्तरकरण को एक तकनिकी त्रुटि बताता है। यह एक विरोधाभासी स्थिति है, जो स्वीकार्य नहीं है। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार पर प्रश्न किया गया है। इस संबंध में लेख है कि ग्राम पंचायत को नामांतरण तस्सीक करने संबंधित शक्तियां प्रदत्त विज्ञप्ति दिनांक 11.09.1957 दिनांक 24.01.1965, को वैध माना गया एवं निर्धारित किया गया कि ग्राम पंचायत हस्तांतरण तस्दीक करने हेतु सक्षम है। इस आशय का सिद्धांत 1984 आरआरडी 17 बउनवानी शिवनारायण बनाम शिवप्रतापसिंह में प्रतिपादित किय गया है। उक्त न्यायिक दृष्टांत के आलोक में अधिवक्ता अपीलार्थी की ग्राम पंचायत क्षेत्राधिकार संबंधित आपत्ति स्वीकार्य योग्य नहीं है।

- हस्तगत प्रकरण में विवादित भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रित होकर प्रत्यर्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होकर जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र आराजी क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया है। हस्तगत प्रकरण में यह सर्वथा स्वीकृत तथ्य है कि प्रत्यर्थी ने पंजीकृत विक्रयपत्र के माध्यम से अभिलिखित खातेदारान से वादग्रस्त भूमि का क्रय किया है। अभिलिखित खातेदारान को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 41 के अन्तर्गत अपनी खातेदारी की भूमि को विक्रय से हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार है। इस प्रकार प्रश्नगत विक्रयपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 41 सपठित सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 54 एवं पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 47 के अनुसार विधिक दस्तावेजात हैं जिनसे क्रेता को खरीदी गयी भूमि में वह सभी अधिकार अर्जित हो जाते हैं जो कि विक्रेतागण को थे। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा पंजीकृत दस्तावेजों को निरस्त कराने बाबत किसी सक्षम न्यायालय समक्ष चाराजोही की गई हो, ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। पंजीकृत विक्रयपत्र वैधानिक दस्तावेज हैं और जब तक उक्त पंजीकृत विक्रय पत्रों को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं कर दिया जाता है तब तक प्रत्यर्थी को वादग्रस्त भूमि में विधिक खातेदारी अधिकार प्राप्त हैं। एक वैध पंजीकृत दस्तावेज होकर राजस्थान भू–राजस्व लेण्ड रिकार्ड रूल्स के नियम 132 के अनुरूप पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर नामान्तरण खोला गया है, जो कि नियमानुसार होकर वैध एवं प्रभावी पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर खोला गया है जिसमें ग्राम पंचायत को पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त है। हस्तगत प्रकरण में वर्णित नामान्तरण, पंजीकृत विक्रय के आधार पर खोला गया है एवं विधि की यह सुस्पष्ट स्थिति है कि जहॉ पंजीकृत विक्रय पत्र नामान्तरण हेतु प्रस्तुत होता है तो वहॉ पंजीकृत विक्रय पत्र के अतिरिक्त अन्य किसी तथ्य को नहीं देखा जा सकता है। प्रावधित है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही संक्षिप्त प्रक्रिया एवं सरसरी कार्यवाही है जिसमें किसी पक्षकार के स्वत्व सम्बन्धी विषय बिन्दु का निर्धारण नहीं किया जा सकता। स्वत्व का निर्धारण एवं विनिश्चयन नियमित घोषणात्मक वाद प्रस्तुत कर एवं तदनुरूप

विवाद्यक बिन्दु कायम किये जाकर साक्ष्य/शहादत द्वारा किया जाना विधि में प्रस्तावित है। अपीलार्थी द्वारा विक्रय पत्र के संबंध में जो कि एक सिविल प्रकृति की कार्यवाही होकर अनुतोष चाहा गया है, वह इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का बिन्दु नहीं है। अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत उपरोक्त बिन्दु पर लागु होते है–

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ''सुरिद सिंह/सरदूल सिंह बनाम रंधीर सिंह एवं अन्य'' के मामले के पेरा संख्या 6, 7 व 8 में निम्नलिखित निर्णय प्रतिपादित किया गया है–

"6. Where the executant of a deed wants it to be annulled, he has to seek cancellation of the deed. But if a non-executant seeks annulment of a deed, he has to seek a declaration that the deed is invalid, or non-est, or illegal or that it is not binding on him. The difference between a prayer for cancellation and declaration in regard to a deed of transfer/conveyance, can be brought out by the following illustration relating to 'A' and 'B' – two brothers. 'A' executes a sale deed in favour of 'C'. Subsequently 'A' wants to avoid the sale. 'A' has to sue for cancellation of the deed. On the other hand, if 'B', who is not the executant of the deed, wants to avoid it, he has to sue for a declaration that the deed executed by 'A' is invalid/void and non-est/ illegal and he is not bound by it. In essence both may be suing to have the deed set aside or declared as non-binding. But the form is different and court fee is also different. If 'A', the executant of the deed, seeks cancellation of the deed, he has to pay advalorem court fee on the consideration stated in the sale deed. If 'B', who is a non-executant, is in possession and sues for a declaration that the deed is null or void and does not bind him or his share, he has to merely pay a fixed court fee of Rs. 19.50 under Article 17(iii) of Second Schedule of the Act. But if 'B', a non-executant, is not in possession, and he seeks not only a declaration that the sale deed is invalid, but also the consequential relief of possession, he has to pay an ad-valorem court fee as provided under Section 7(iv)(c) of the Act. Section 7(iv)(c) provides that in suits for a declaratory decree with consequential relief, the court fee shall be computed according to the amount at which the relief sought is valued in the plaint. The proviso thereto makes it clear that where the suit for declaratory decree with consequential relief is with reference to any property, such valuation shall not be less than the value of the property calculated in the manner provided for by clause (v) of Section 7."

7. In this case, there is no prayer for cancellation of the sale deeds. The prayer is for a declaration that the deeds do not bind the "co-parcenery" and for joint possession. The plaintiff in the suit was not the executant of the sale deeds. Therefore, the court fee was computable under section 7(iv)(c) of the Act. The trial court and the High Court were therefore not justified in holding that the effect of the prayer was to seek cancellation of the sale deeds or that therefore court fee had to be paid on the sale consideration mentioned in the sale deeds."

8. We accordingly allow these appeals, set aside the orders of the trial court and the High Court directing payment of court fee on the sale consideration under the sale deeds dated 20.4.2001, 24.4.2001, 6.7.2001 and 27.9.2003 and direct the trial court to calculate the court fee in accordance with Section 7(iv)(c) read with Section 7(v) of the Act, as indicated above, with reference to the plaint averments."

माननीय राजस्व मण्डल द्वारा गोविन्दा व अन्य बनाम नरसिंहराम व अन्य के मामले के पेरा संख्या 7 में निम्नलिखित निर्णय प्रतिपादित किया गया है–

''7. यह तथ्य निर्विवादित है कि दिनांक 26.3.1976 को नामान्तरकरण सं. 3 पूर्व खातेदार चोथू व शंकर के नैसर्गिक उत्तराधिकारियों के पक्ष में स्वीकृत हुआ है। नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय सम्बन्धित अधिकारी के समक्ष तथाकथित पंजीकृत गोदनामा प्रस्तुत नहीं किया गया था।

अतः सुस्थापित विधि के अनुसार पंजीकृत विलेख के आधार पर विवादित आराजी की खातेदारी के सम्बन्ध में अप्रार्थी सं. 1 सक्षम न्यायालय के समक्ष उद्घोषणा का वाद प्रस्तुत कर सकता है। अतः उपरोक्त आलोक में विद्वान उपखण्ड अधिकारी, आमेर मुख्यालय जयपुर ने निर्णय दिनांक 24.11.1997 द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करने में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की है, लेकिन उपरोक्त सुस्थापित विधिक प्रावधानों की उपेक्षा करते हुए गोदनों की वैधानिकता की तहकीकात हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित करने में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर ने निश्चित रूप से अधिकारिता संबंधी त्रुटि कारित की है।''

- अपीलांट के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि लेण्ट रिकार्ड रूल्स के नियम 121 के प्रावधानों के अनुसार पटवारी को उक्त नामान्तरण संख्या 25 की कार्यवाही से पूर्व अपीलांट को सुनवाई के अवसर दिया जाना चाहिए था, जो कि अपीलांट को नहीं दिया गया जिससे भी उक्त नामान्तरण संख्या 25 विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विरूद्ध है, जब हमने लेण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 के नियम 121 में वर्णित प्रावधानों का विवेचन किया तो लेण्ड रिकार्ड रूल्स के नियम 121 के उक्त प्रावधान नामान्तरण संख्या 25 निर्णित होने के पश्चात् वर्ष 1982 में जोड़े गए है, जिससे उक्त प्रावधान हस्तगत प्रकरण पर लागु नहीं होते है।
- जहॉ तक अपीलांट द्वारा गत भू–माप के आराजी संख्या 141 से 149, 151, 153, 160, 163 से 166, 168 से 170 कुल किता 11 कुल क्षेत्रफल 9 बिघा 16 बिस्वा जो कि वस्तुतः 9 बिघा 19 बिस्वा है, का हवाला अपील के कलम संख्या 16 में दिया गया है, इस संबंध में प्रत्यर्थीगण द्वारा कथन प्रस्तुत किये गये कि इन आराजीयात् के संबंध में मांगीलाल सुराणा द्वारा किये गये विक्रय एवं उससे संबंधित नामान्तरण संख्या 19 व 20 को अपीलांट के द्वारा आज दिन तक कोई चुनौती नहीं दी गई है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट ने पीसमील में पिक एण्ड चूस करते हुए अपने अन्य हेतुकों की पूर्ति हेतु हस्तगत अपील एवं विद्वान अधिनस्थ न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की है जिससे अपीलांट स्वयं अपने एक्ट, ओमिशन व कन्डक्ट से बाधित है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के उपरोक्त कथनों के खण्डन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जहां तक अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये जाने का प्रश्न है, यदि यह मान भी लिया जावें कि अवसर प्रदान नहीं किये गये, परन्तु अपीलार्थी का न्यायालय हाजा समक्ष समुचित अवसर प्रदान किये गये और अपीलार्थी को यह भी ज्ञात है कि इस न्यायालय को राजस्व नियमावली के तहत सभी अधिनस्थ न्यायालयों की शक्तियां प्रदान है, फिर भी अपीलार्थी द्वारा अपील मेमों के अंकित कथनों एवं दौराने बहस प्रस्तुत कथनों को प्रमाणित करने हेतु कोई मजबूत एवं पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी अपने कथनों को प्रमाणित करने में असफल रहा है।
- मांगीलाल सुराणा के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27/09/1965, नामान्तरण संख्या 25 एवं सीलींग पत्रावली 10/1970 में बारंबार मौके पर कब्जा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 का होने बाबत्

स्वीकारोक्ती की गई है, साथ ही विभाजन पत्रावली मिसल क्रमांक 263/1976 में भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 का 349 बीघा पर कब्जा होने बाबत् तथ्य रिकार्ड पर है, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 के द्वारा उनके अन्तरिती को विक्रय करना बताकर अपीलांट ने उन्हे विधिक प्रतिनिधि माना है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 के अधिवक्ता ने यह कथन किये है कि वादग्रस्त भूमियों में से अधिकांश भूमियॉ उनके पक्षकार के नाम पर गैर कृषि कार्य हेतु संपरिवर्तित की जा चुकि है तथा अपीलांट द्वारा उक्त संपरिवर्तन के विरूद्ध एक अपील 36/2024 अपील इसी न्यायालय में प्रस्तुत कर रखी है इन सब तथ्यों व परिस्थितियों में प्रकरण में यह स्पष्ट है कि अपीलांट का वादग्रस्त भूमियों में कभी कोई कब्जा नहीं रहा है, न ही उनके द्वारा दानपत्र के अनुसरण में कभी कोई कब्जा ही प्राप्त किया है, जबकि किसी स्थावर सम्पत्ति के वैध दानपत्र के लिए कब्जे का वास्तविक आदान–प्रदान मौके पर किया जाना आवश्यक है जैसा कि हस्तगत प्रकरण में होना प्रतीत नहीं होता है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अब्दुल रहीम बनाम अब्दुल रहमान के मामले में निर्धारित किया कि कब्जे के अन्तरण के अभाव में दानपत्र वैध नहीं होता है तथा विशेष तौर पर यदि ऐसा अन्तरण सीलींग के प्रावधानों से बचने के लिए किया गया है तो ऐसा अन्तरण किसी भी पहलु से वैध नहीं कहा जा सकता है, जिससे भी उक्त दानपत्र के आधार पर अपीलांट किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

- प्रकरण में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष 53 वर्ष की देरी से अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अपील मयाद के बिन्दु पर भी खारिज की गई, जिसका यह न्यायालय पुरजौर समर्थन करता है क्योंकि विवादित भूमियों के संबंध में बेचान के संबंध में पूर्व में वर्ष 1971 में पारित निर्णयों में अंकन किया गया है, जो अपीलार्थी की जानकारी में था और उसके उपरांत समस्त कार्यवाहियों की जानकारी भी अपीलार्थीगण होना अभिलेखों से जाहिर होता है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–5 मयाद अधिनियम में ऐसा कोई ठोस युक्तियुक्त कारण नहीं बताया है, जिसके आधार पर अपील प्रस्तुत नहीं करने के क्या पर्याप्त और औचित्यपूर्ण कारण रहे है। विधिक प्रावधानों अनुसार विलम्ब हेतु प्रत्येक दिवस के क्या कारण रहे है, स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। न ही अपीलार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किए है। विभिन्न न्यायालयों द्वारा कई मामलों में यह दृष्टांत प्रतिपादित किये है कि अपीलार्थी द्वारा अपील दायर करने में हुई देरी बाबत औचित्यपूर्ण, सत्य, विश्वसनीय एवं संतोषजनक कारण प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को संतुष्ट किया जाना आवश्यक होता है, ऐसा नहीं होने की स्थिति में मयाद को कण्डोन नहीं किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा मयाद कण्डोन किये जाने बाबत जो कारण प्रस्तुत किये है, वह संतोषप्रद एवं

पर्याप्त नहीं है। विलम्ब की देरी हेतु प्रत्येक दिन का कारण बताया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में देरी को उपशमन करने का कोई न्याय संगत आधार नहीं है। निर्णय की सटीक जानकारी हेतु रेकर्ड से परे जाकर अभिवचन कथन करना/वर्णित करना कदापि औचित्यपूर्ण नहीं है तथा इस प्रकार से बिलम्ब को उपशमन किये जाने के लिए कोई पर्याप्त उचित कारण नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय अधिनस्थ न्यायालय के मयाद के बिन्दु पर अपील को खारिज किये जाने के निर्णय का समर्थन करता है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा **मंगेज कुंवर व अन्य बनाम मोला राम व अन्य** के मामले के पेरा संख्या 6 व 8 में निम्नलिखित निर्णय प्रतिपादित किया गया है–

''6. उपरोक्त विधिक स्थिति से यह स्पष्ट है कि भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निर्णय करना और विलम्ब की परिसीमा का शमन स्वीकृत करना पहले आवश्यक है, जिसके बाद ही न्यायिक प्रकरण प्रभाव में आता है और तत्पश्चात ही गुणावगुण पर निर्णय दिया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि जब तक परिसीमा की वैधता और विलम्ब के मामले को निर्धारित नहीं किया जाता, तब तक किसी अन्य प्रश्न पर निर्णय देना उचित नहीं है। इस दृष्टिकोण से यह स्पष्ट है कि अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर ने 15 मार्च 2010 को अपना निर्णय पारित करते हुए कोई विधिक त्रुटि नहीं की। उपखण्ड अधिकारी ने भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश पारित किए बिना गुणावगुण पर निर्णय दिया, जो एक विशुद्ध त्रुटि के रूप में मानी जाती है। हालांकि, उपखण्ड अधिकारी को यदि गुणावगुण पर पहले दृष्टिपात करते हुए प्रकरण को महत्वपूर्ण समझने और समयावधि के प्रश्न पर विचार करने की स्वतंत्रता थी, परंतु समयावधि का प्रश्न पहले निर्धारित किया जाना आवश्यक था। इस प्रकार के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि निगरानी को खारिज किया जाना चाहिए।

8. उपरोक्त विवेचन और विचार के आधार पर, हम यह निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। परिणामस्वरूप, यह निगरानी श्रवणार्थ ग्रहण किए जाने के स्तर पर ही निरस्त कर दी जाती है, क्योंकि पहले ही विधिक प्रक्रिया का पालन किया गया था और उचित निर्णय लिया गया था।''

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कुमा राम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के मामले के पेरा संख्या 14, 15 व 20 में निम्नलिखित निर्णय प्रतिपादित किया गया है–
"14. The court emphasized that the attempt to challenge the mutation, which had been in the conscious knowledge of the khatedar (Mana Ram), after 46 years, is tainted with gross delay and laches. The petition was liable to be dismissed on this ground alone. The petitioner had tried to sidestep the impact of the delay by alleging that the mutation was tainted with fraud. However, the court pointed out that an official act cannot be considered fraudulent unless it is proved with cogent and concrete evidence. Mere allegations, doubts, or claims of illegality do not make the case fall under the category of fraud.
15. The court reiterated that fraud is a deliberate act of deception aimed at securing an unfair benefit at the expense of another. It noted that fraud, which vitiates judicial acts, could not be presumed merely based on allegations or doubts. The person alleging fraud must prove it with clear and convincing evidence. Since the mutation in question was an official act, it was presumed to have been done in accordance with the law, and raising doubts alone was not sufficient to prove fraud.

20. This paragraph reaffirmed that the delay in challenging the mutation after 46 years was a crucial factor in dismissing the writ petition. The court emphasized that the mutation had been in the knowledge of the khatedar and his family, and the failure to challenge it for over four decades showed a lack of urgency. Even if the petitioner claimed fraud, the court held that official acts are not tainted with fraud unless there is solid proof, and simple allegations or doubts are not enough to bring the case within the ambit of fraud."

- उपरोक्त विस्तृत विवेचन से यह स्थिति स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय समक्ष 53 वर्ष की देरी से अपील पेश की जो स्पष्टतः असाधारण विलम्ब से पेश की जबकि अपीलार्थी को आलौच्य आदेशों की तत्समय जानकारी थी। अपीलार्थी के पक्ष में वर्ष 1959 में दानपत्र के आधार पर नाामन्तरकरण संख्या 1 स्वीकृत किया गया था उक्त नामान्तरकरण को सिलिंग एक्ट के प्रावधानों के विपरित होने से दिनांक 14.07.1963 को खारिज कर दिया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अध्याय 3ख जो कि अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक भूमि धारण करने पर निर्वधन के प्रावधान से संबंध है, इस प्रकरण पर लागू होते है। वर्ष 1958 में अपीलांट्स के पक्ष उनके पिता मांगीलाल सुराणा द्वारा जरिये दानपत्र अन्तरित की गई भूमियॉ सीलिंग कानून के प्रावधानों के अनुसार नाबालिग को अन्तरीत भूमियां एक ही कुटुम्ब में होने के चलते ऐसा अन्तरण प्रारम्भ से ही विधि विरूद्ध होना प्रकट होता है। इसी प्रकार प्रत्यर्थीगण को किया गया अन्तरण धारा 30–घघ के अपवाद में आकर पूर्णतया वैध होना प्रकट होता है। उक्त दानपत्र के आधार पर पारित नामान्तरकरण संख्या 1 को खारिज कर दिया गया है एवं तत्पश्चात् पारित निर्णय दिनांक 09.11.1971 हुआ जो प्रत्यर्थीगण के पक्ष में पारित किया गया है। उक्त दोनों कार्यवाहियों को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई हो या किसी न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया हो, ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त तथ्यों, विधिक स्थिति के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बडगांव द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील पर विधिक एवं तथ्यात्मक परीक्षण उपरांत एवं पर्याप्त कारण अंकित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें यह न्यायालय कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नही पाता है।
- अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलांट सारहिन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बडगांव का निर्णय दिनांक 20.05.2024 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।
- निर्णय सुनाया गया।

(सी. आर. देवासी)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर